मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था
बी–2, ऑफिस काम्पलेक्स गौतम नगर

क्रमांक 1893/स्था./598/भरती/निःशक्तजन/2024 भोपाल,दिनांक 19 /11/24
प्रति,

निदेशक,
एम.पी. ऑन लाईन,
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– निःशक्तजनों के आरक्षित पदों के चिन्हांकित पदों की भरती के संबंध में।
संदर्भ – संस्था के पत्र क्र. 1306/ /स्था./598/भरती/निःशक्तजन/2024 भोपाल, दिनांक 05.09.24

–0–

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा संस्था के सीधी भरती के निःशक्तजन से सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक ग्रेड–3, स्टेनोटाईपिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रयोगशाला सहायक के 12 पदों की भरती की कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में शासन से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। पूर्व में जारी अंतिम प्रकाशन को पोर्टल से विलोपित करने का अनुरोध है।

अतः संस्था की संशोधित नियम पुस्तिका एवं विज्ञापन की छायाप्रति संलग्न अनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– संशोधित नियम पुस्तिका/विज्ञापन

(के.एस.टेकाम) 19/11/24
प्रबंध संचालक

MPONLINE LIMITED
DATE 20/11/24
RECEIVED

7

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था
बी–2, ऑफिस काम्पलेक्स, गौतम नगर

क्रमांक 1891 / स्था. / नियुक्ति / निःशक्तजन / 598 / 2024 भोपाल,दिनांक 19–11–2024

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश माध्यम,
40 प्रशासनिक क्षेत्र,
अरेरा हिल्स,भोपाल।

विषयः– निःशक्तजन के पदों की भरती के संबंध में संस्था की संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित करने बाबत्।

–0–

विषयांतर्गत लेख है कि संस्था में निःशक्तजनों के पदों की भरती की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाना है। जिसकी संशोधित विज्ञप्ति संलग्न है।

अतः संलग्न संशोधित विज्ञप्ति अधिक प्रसार वाले राज्य स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित कर देयक 2 प्रतियों में उपलब्ध करावें।

संलग्नः– विज्ञप्ति की प्रति

(के.एस.टेकाम)
प्रबंध संचालक

पृ.क्र. 1892 / स्था. / नियुक्ति / निःशक्तजन / 598 / 2024 भोपाल,दिनांक 19–11–2024

प्रतिलिपि :–

भण्डार शाखा / लेखा शाखा प्रधान कार्यालय की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक

72

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल
के अतर्गत

क्रमांक /स्था./नियु./निःशक्तजन/598/2024 भोपाल दिनांक .11.2024

सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक ग्रेड–3, स्टेनोटाईपिस्ट एवं प्रयोगशाला सहायक संवर्ग के निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु संशोधित विज्ञापन 2024

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल का विज्ञापन क्र. 1290/स्था./नियु./निःशक्तजन/598/2024 भोपाल दिनांक 04.09.2024 में संशोधन अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञाप क्र. एफ. 8–2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 30 जून 2014 एवं ज्ञाप क्र. एफ. 7–19/2019/आ.प्र./एक दिनांक 31.05.2024 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र. 7275/2019 विरूद्व म. प्र. शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2024 के परिपालन में दिव्यांगजनों के लिए बैंकलाग चिन्हांकित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के 5 पद, सहायक ग्रेड–3 के 4 पद, स्टेनोटाईपिस्ट का 01 पद एवं प्रयोगशाला सहायक के 2 पद इस प्रकार कुल ओपन–12 पद की पूर्ति हेतु वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे उल्लेखित वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1– ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि–दिनांक 22.11.2024 से 06.12.2024 तक तथा आवेदन संशोधन दिनांक 09.12.2024 तक रहेगी।

2– ऑनलाइन आवेदन भरने की उपलब्धता एम.पी. ऑनलाइन (www.mponline.gov.in) के माध्यम से या दिये गये URL (https://iforms.mponline.gov.in) द्वारा स्वयं/किसी भी कियोस्क के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।

3– जिन आभ्यार्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी विचार क्षेत्र में रखा जावेगा।

सामान्य शर्तेः

1– म.प्र. के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधान, शैक्षणिक अर्हता एवं आवेदित पदों से संबंधित समस्त विस्तृत विवरण/नियम पुस्तिका एम.पी.आनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर एवं म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की वेबसाइट **www.mpssca.org** पर उपलब्ध है।

2– आवेदक के पास समस्त निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं आवेदन नियम पुस्तिका में उल्लेख अनुसार होना अनिवार्य है। आवेदन करने की तिथि के बाद किसी भी अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पद के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगें।

"सम्पूर्ण चयन प्रकिया के दौरान यदि कोई कप्यूटर/लिपकीय त्रुटि पाई जाती है तो म.प्र.राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था किसी भी स्तर पर वैध सुधार का अधिकार सुरक्षित रखती है।"

म.प्र. माध्यम///

प्रबंध संचालक 19/11/24

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

संस्था के निःशक्तजनों के सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2024 के संशोधित सामान्य निर्देश

नियम पुस्तिका

मध्यप्रदेश शासन म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था अन्तर्गत सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी 5 पद, सहायक ग्रेड–3, 4 पद, स्टेनोटाईपिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर 1 पद एवं प्रयोगशाला सहायक 02 पद (कुल 12 ओपन पदों) की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आयोजन कर निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है :–

क.	पदनाम	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियाँ			
		दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हां कित पद	बहरे और कम सुनने वाले 1.5%) चिन्हां कित पद	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) चिन्हांकित	ऑटिज्म, बौद्विक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) चिन्हांकित पद
1	2	3	4	5	6
1	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी /बीज विश्लेषक	—	3	2	—
2	सहायक ग्रेड–3	1	2	—	1
3	स्टेनो टाइपिस्ट (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	—	—	1	—
4	प्रयोगशाला सहायक	1	—	1	—
	योग	2	5	4	1

उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन चयन प्रकिया के लिए निम्नानुसार निर्देश एवं शर्तें निर्धारित की जाती है :–

(1) रिक्त पदों का विवरण :–

(1.1) **सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी :–**

वेतनमान 32800–103600 (लेवल 8) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये :–** स्नातकोत्तर उपाधि (इनमें से किसी में) स्नातकोत्तर कृषि – (विशेषज्ञता)

(1) प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जेनेटिक्स, (2) एग्रोनामी, (3) पादप कार्यिकी (Plant Physiology)

मेरिट सूची का निर्धारण :– स्नातकोत्तर कृषि में प्राप्त सीजीपीए का 80 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर कृषि के संबंधित विषय में पीएचडी उपाधि पर 20 अंक इस प्रकार कुल 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जायेगी। परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान है तो स्नातकोत्तर उपाधि में अधिक अंक/प्रतिशत वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

(1.2) सहायक ग्रेड–3 :–

वेतनमान 19500–62000 (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये :– हायर सेकेण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही कम्प्यूटर पर हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से टायपिंग की दक्षता (सीपीसीटी) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) हो। (सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता ही लागू होगी)

मेरिट सूची का निर्धारण :– हायर सेकेण्ड्री (10+2) में कुल प्रतिशत का 50 प्रतिशत तथा सीपीसीटी में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत इस प्रकार 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान है तो हायर सेकेण्ड्री (10+2) उपाधि में अधिक अंक/प्रतिशत वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

(1.3) **स्टेनो टाईपिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर** :–

वेतनमान 19500–62000 (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये :– हायर सेकेण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही कम्प्यूटर पर हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से टायपिंग की दक्षता (सीपीसीटी) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान/परिषद से 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखक दक्षता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।

मेरिट सूची का निर्धारण :– हायर सेकेण्ड्री (10+2) में कुल प्रतिशत का 50 प्रतिशत तथा सीपीसीटी में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत इस प्रकार 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान है तो हायर सेकेण्ड्री (10+2) उपाधि में अधिक अंक/प्रतिशत वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

(1.4) प्रयोगशाला सहायक :–

वेतनमान 19500–62000 (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये :– विज्ञान विषय लेकर (वनस्पति समूह से) हायर सेकेण्ड्री (10+2) समूह से उत्तीर्ण

मेरिट सूची का निर्धारण :– हायर सेकेण्ड्री (10+2) में उत्तीर्ण प्रतिशत मेरिट आधार पर। परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान है तो उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) चयन हेतु सामान्य निर्देश :—

(2.1) सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक ग्रेड–3, स्टेनोटाईपिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रयोगशाला सहायक के पद राज्य स्तर के पद है। अतः पदों की पूर्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का संधारण राज्य स्तर पर प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जायेगा।

(2.2) दिव्यांगजनों के आवेदको को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मण्डल/चिकित्सक /दिव्यांगजनों के विशेषज्ञों के मेडिकल बोर्ड द्वारा यूडीआइर्ड पोर्टल से जारी किया गया डिजिटल मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(2.3) दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही यह वास्तव में विकलांग है का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

(2.4) दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों के निःशक्ता का प्रतिशत, 40 प्रतिशत या अधिक पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।

(2.5) मूक बाधित श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भरती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टैस्ट (Bera Test) अनिवार्य होगा।

(2.6) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) दिनांक 03.07.2018 में सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को चयन उपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके उपरांत दिव्यांगजनों के संबंध में शासन द्वारा वर्तमान एवं समय–समय पर जारी नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही संस्था द्वारा की जावेगी।

(2.7) चयन परीक्षा हेतु अभ्यार्थियों को अपने आवेदन एम.पी.आनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने होगें। जिन अभ्यार्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्र को भी विचार क्षेत्र में रखा जावेगा।

(2.8) अर्हताधारी एक आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है। इस हेतु उन्हें एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरना होगा। प्रत्येक आवेदन के लिए राशि रूपये 250+GST परीक्षा फीस एम.पी. आनलाइन कियोस्क के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड/यू.पी.ई/वालेट पेमेंट से जमा की जा सकेगी।

77

(2.9) सभी पदो के लिए पृथक–पृथक मेरिट सूची भी पृथक–पृथक बनाई जायेगी।

(2.10) अनंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यार्थियों के निर्धारित प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कोई भी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि के बाद की तिथि में जारी होना पाये जाने की स्थिति में मान्य नही किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यार्थियो का चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) चयन संबंधी आवश्यक अर्हतायें एवं अन्य बिन्दु निम्नानुसार होगें :–

(3.1) मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र :– आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3.2) आवेदक का आवेदित दिनांक को मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(3.3) आयु सीमा :–

सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद हेतु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। शेष संवर्गो के लिये 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। किसी भी स्थिति में सभी प्रकार की छूट मिलाकर आवेदक/आवेदिका की आयु 45 वर्ष के उपर नही होना चाहिए।

(3.4) आयु की पुष्टि हेतु हायर हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में अभिलिखित जन्मतिथि ही मान्य की जावेगी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में मान्य की जावेगी।

(3.5) बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रकिया को संशोधित/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के पास रहेगा। चयन/नियुक्ति में प्रबंध संचालक राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(4) चयन प्रकिया :–

चयन प्रकिया निम्नानुसार संपादित की जावेगी :–

(4.1) **अनंतिम वरीयता सूची एवं अंतिम चयन सूची का निर्धारण एवं प्रकाशन :–**

एम.पी. ऑनलाइन, निर्धारित मापदण्ड में प्राप्त अंको के आधार पर अनंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी, पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी विचार क्षेत्र में रखा जावेगा। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल की वेबसाइट www.mpssca.org तथा एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर किया जावेगा।

(4.2) उपरोक्त मापदण्ड को अपनाते हुए विभाग द्वारा विभिन्न पदो के लिए प्रत्येक प्रवर्ग के लिए रिक्त पदों की 150 प्रतिशत सीमा तक मेरिट के कम में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की गठित राज्य स्तरीय दल द्वारा किया जायेगा। उक्त दल में मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी एवं बीज प्रमाणीकरण अधिकारी सदस्य होगें। निर्धारित तिथि पर अनंतिम चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों को समक्ष में बुलाकर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का उक्त दल द्वारा सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन सही पाए जाने पर प्रत्येक प्रवर्ग में पात्र अभ्यर्थियो की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। असत्य जानकारी एवं फर्जी दस्तावेज के मामलों मे संबंधित अभ्यर्थियो के विरूद्व नियमानुसार दांडिक कार्यवाही की जाएगी।

सत्यापन में आवश्यक संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर अनंतिम वरियता सूची के मेरिट कम में सूचीबद्व अन्य अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के कम में दस्तावेजो के सत्यापन के लिए बुलाया जा सकेगा।

(5) प्रतिक्षा सूची :-

अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के साथ–साथ प्रत्येक पद के लिए विज्ञप्त पदों के 100 प्रतिशत संख्या में पद की प्रतीक्षा सूची प्रवर्गवार तैयार की जाएगी और उसका प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम चयन सूची जारी होने के बारह माह की अवधि तक प्रतीक्षा सूची वैध रहेगी।

(6) नियुक्ति की शर्ते :- म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था अतंर्गत सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक ग्रेड–3, स्टेनोंटाईपिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रयोगशाला सहायक की नियुक्तियों से संबंधित शर्तो का विवरण परिशिष्ट–1 पर है।

(7) शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्था/कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता को नियुक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(8) निरर्हताएं :-

(8.1) पररूपधारण :- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास अनर्हकारी माना जायेगा।

(8.2) विवाह संबंधी :- जिस उम्मीदवार की न्यूनतम निर्धारित आयु पुरूष 21 वर्ष एवं महिला 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया हो, उसे पद पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/स्त्री से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पति/पत्नी हो तो ऐसे महिला/पुरूष पात्र नही होगें।

(8.3) दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई हो, वह चयन के लिए पात्र नही होगा। परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव में एक साथ दो या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नही होगा।

(8.4) कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर।

(8.5) कदाचरण संबंधीः— किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्ति नहीं किया जावेगा, यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया अथवा यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

(8.6) ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरूद्व दर्ज किसी अपराधिक मामले में वह दोष सिद्व हुआ हो।

19/11/24

(के.एस. टेकाम)
प्रबंध संचालक

परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,

दिव्यांगजनों की नियुक्तियों से संबंधित शर्तो का विवरण

(1) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार आपकी सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है।

(2) नियुक्त व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किये बिना संस्था की सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त के अन्तर्गत देय रकम उनसे भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत यह नियुक्ति तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर होगी। म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम–8 के उप नियम–7 के अनुसार परीवीक्षा अवधि समाप्त की जावेगी।

(4) परीवीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, नियत वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

(5) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। कार्य संतोषप्रद न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणों से परिवीक्षा काल में किसी भी समय समाप्त किया जाकर सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(6) संस्था में पद का कार्यभार (उपस्थिति)ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(7) यदि संबंधित द्वारा पद का कार्यभार आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(8) यदि कोई प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) जमा करने के आदेश दिये जायें तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। संस्था में सेवाओं हेतु उपयुक्तता के आधार पर ही उपस्थिति मान्य की जा सकेगी ।

(9) उपस्थिति देते समय समस्त आवश्यक मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तदानुसार समस्त आवश्यक मूल प्रमाणपत्रों तथा इनकी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जावे।

(10) संस्था में उपस्थिति देते समय अधिकृत सिविल सर्जन का शारीरिक उपयुक्तता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(11) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क. एफ.सी.3–15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित अनुप्रमाणन प्रपत्र में चाही गई जानकारी पूर्ण भरकर प्रस्तुत करना होगा। पुलिस सत्यापन में उनके संबंध में किसी भी प्रकार की अनुचित जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(12) संबंधित को सेवा पुस्तिका में निर्धारित किये गये प्रपत्र में भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखने एवं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करने की शपथ लेनी होगी।